



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 01.11.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 350/2023 धारा 498 ए/304बी/504/352 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 350/2023 धारा 498ए/304बी/504/352 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. राजकुमार (ससुर) पुत्र स्व० रामभरोसे निवासी गंगादरवाजा माधौपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
2. 01 महिला (सास)

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 16.07.2024 को श्री रोहित पुत्र स्व० रामप्रकाश निवासी सलेमपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद ने थाना मऊदरवाजा पर प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी बहन राखी कि उसके ससुराल वालो ने दहेज के लोभ में उसकी बहन राखी को प्रताड़ित कर हत्या कर दी है उक्त सूचना पर थाना मऊदरवाजा पर मु०अ०सं० 350/2023 धारा 498-A/304-B/504/352 भा०द०वि० व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.गोलू सक्सेना (पति) पुत्र राजकुमार 2.राजकुमार (ससुर) पुत्र रामभरोसे 3.छोटू (देवर) पुत्र राजकुमार 4.सुनीता (सास) पत्नी राजकुमार 5.काजल (ननद) पुत्री राजकुमार नि०गण ग्राम माधौपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियोग में वांछित अभियुक्तो को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. राजकुमार (ससुर) पुत्र स्व० रामभरोसे 2. श्रीमती सुनीता (सास) पत्नी राजकुमार निवासीगण गंगादरवाजा माधौपुर थाना मऊदरवाजा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- हमें जो भी कहना होगा हम अपने वकील के जरिये माननीय न्यायालय में कहेंगे।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास: मु०अ०सं० 350/2023 धारा 498ए/304बी/504/352 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री राघवेन्द्र सिंह
2. का० पन्ना लाल
3. म०का० मधु
4. का० कन्हैयालाल
5. का० मो० आलम

मीडिया सेल फतेहगढ़

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :-01.11.2024

**थाना कमालगंज पुलिस द्वारा- मु0अ0सं0-233/2024 धारा 351(2)/(3)
बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार
किया गया**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 233/2024 धारा-351(2)/(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त का नाम व पता –

1.फराज खान उर्फ गौश मोहम्मद पुत्र पप्पू खान निवासी ग्राम राजेपुर सराय मैदा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 30.10.2024 को आवेदिका ने थाना कमालगंज पर लिखित तहरीर दी कि आवेदिका की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना का विवरण था। जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-233/2024 धारा-351(2)/(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम फराज खान उर्फ गौश मोहम्मद पुत्र पप्पू खान निवासी ग्राम राजेपुर सराय मैदा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - मैं अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अनुराग मिश्र थाना कमालगंज
2. का0 सचिन कुमार
3. का0 जाहिद हुसैन

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

